# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09 / 2020

**प्रार्थीगण–**

1. देवेन्द्रकरण पुत्र नरपतकरण
2. धर्मेन्द्रकरण पुत्र नरपतकरण

   जाति राजपूत निवासी कानाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

***बनाम***

**अप्रार्थीगण–**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत कानाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2. राजेन्द्रकरण पुत्र प्रवीणकरण जाति राजपूत निवासी कानाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 31 दिनांक 06.02.2006 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत कानाना द्वारा जारी किया गया।**

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री राणाराम गौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

## निर्णय

दिनांक : 30 / 12 / 2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत कानाना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 16[illegible] तहत ग्राम कानाना मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 06.02.2006 को जारी किया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 2044.30 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत कानाना द्वारा जारी इस पट्टा विलेख की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishram Meena
Date: 2021.02.27 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत कानाना का प्रश्नगत अभिलेख मंगाया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा आपस में चाचा–भतीज हैं। प्रार्थीगण निगरानीकर्तागण के पुश्तैनी रहवास एवं कब्जे का एक परिसर कानाना गांव की आबादी भूमि में रावला चौक के पास स्थित हैं एवं निगरानीकर्ता ने इस परिसर पर अपने हिस्से में आए भाग पर अपना कब्जा एवं रहवास स्थापित कर रखा हैं, जिसको अनदेखा कर अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के साथ गलत रूप से सांठ–गांठ कर आलौच्य पट्टा जारी करवा दिया जो गलत हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना नियमों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूखण्ड पर 50 वर्षों से पुराना कब्जा पीढियों से होना बताया हैं जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 आपस में चाचा–भतीज लगते हैं, ऐसे में प्रार्थीगण का भी इस पर हक–हिस्सा बनता हैं एवं अप्रार्थी सं. 2 ने कहीं पर भी यह वर्णित नहीं किया हैं कि पारिवारिक बंटवाड़े में उसे इस परिसर का हिस्सा मिला हों। ग्राम पंचायत की आलौच्य पत्रावली में पुराना कब्जा होने की ताईद दो गवाहान सांवलराम पुत्र [illegible] व शेपाराम पुत्र राणाराम मेगवाल के बयानों से करवाई हैं जबकि उक्त दोनो ही पट्टा स्थल के पड़ौसी नहीं हैं। आलौच्य पट्टे की पत्रावली में मौका निरीक्षण तीन पंचों की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:43 IST
Reason: SelfAttested

कमेटी द्वारा नहीं किया गया हैं बल्कि सरपंच स्वंय ने ही अपने हस्ताक्षर कर मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश की हैं। आलौच्य पट्टा में दर्शाये गये भूखण्ड में एक मन्दिर ठाकुरजी का हैं जो सार्वजनिक है एवं स्थानीय निवासियों की धार्मिक भावना व आस्था इस मन्दिर में निर्विवाद रूप से आते–जाते हैं। प्रार्थीगण निगरानीकर्तागण स्व0 विजयकरण के पौत्र हैं एवं हिन्दु विधि के अनुसार विजयकरण के फोत होने पर प्रथम श्रेणी के वारीसान होने से निगरानीकर्तागण का वादग्रस्त भूखण्ड में संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा हैं व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 व उसके भाईयों का हैं, किन्तु अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त तथ्य छिपाकर निगरानीकर्तागण को विवादित परिसर में उनके वैधिक हक–हिस्से से वंचित करने के आशय से छिपे तौर पर आलौच्य पट्टा सम्पूर्ण परिसर का अपने नाम करवाया हैं जो गलत एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 को गलत तथ्य अवगत करवाकर गलत रूप से निगरानीकर्ता की बिना जानकारी में लाये मिली भगत कर आलौच्य पट्टा दिनांक 06.02.2006 को जारी करवा दिया। जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण को नहीं थी बल्कि अर्सा 15 दिन पूर्व अप्रार्थी सं. 2 ने जाहिर किया कि पुश्तैनी परिसर उसका पट्टाशुदा हैं। जिस पर निगरानीकर्तागण ने आलौच्य पट्टे के प्रति प्राप्त कर पट्टे की प्रमाणित प्रति मिलते ही सम्यक तत्परता से बिना देरी किये यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested

5. अप्रार्थी सं. 2 ने प्रतिवाद में प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष अप्रार्थी सं. 2 ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम कानाना की आबादी भूमि में अपने पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य के भूखण्ड एवं रहवासीय परिसर का

जिला कलक्टर बाड़मेर

पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। ग्राम पंचायत कानाना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पत्र पर नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए भूमि का मौका निरीक्षण रिपोर्ट ली गई तथा स्थानीय जांच उपरांत सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस प्रकाशित किया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में प्रस्ताव पारित कर आलौच्य पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया हैं। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता अथवा अवैधता नहीं की गई हैं और न ही प्रार्थीगण ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में कहीं भी किसी प्रकार की अवैधता को उजागर किया गया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख वर्ष 2006 में जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध करीब 14 वर्ष पश्चात यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं तथा इसके संलग्न प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी स्पष्ट नहीं किया गया हैं कि उन्हे आलौच्य पट्टे की जानकारी किस प्रकार हुई हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं जिससे यह प्रकट हों कि विवादित भूखण्ड व परिसर में उनका कब्जा व आधिपत्य रहा हैं। निगरानीकर्तागण एवं अप्रार्थी सं. 2 के पुश्तैनी रहवास एवं कब्जे का परिसर ग्राम कानाना की आबादी भूमि में अलग–अलग जगह आये हुए हैं तथा दोनो परिवारों के मध्य सैटलमेंट के समय से फैमिली सैटलमेंट किया जाकर अपने–अपने हिस्सों की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत कानाना द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए नियमानुसार सक्षिप्त पूर्ण कर मिसल सं. 30/2005 में आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जिसके विरूद्ध प्रस्तुत इस निगरानी प्रार्थना पत्र में धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1997 के किसी भी पहलु पर आलौच्य पट्टा हस्तक्षेप योग्य प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा आलौच्य पट्टा यथावत बहाल रखा जावें।

6. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि निगरानीकर्तागण के पूर्वज नरपतकरण एवं अप्रार्थी सं. 2 के पूर्वज शिवकरण वक्त सैटलमेंट से पूर्व अलग–अलग निवास करते थे तथा प्रार्थीगण के पूर्वज नरपतकरण का वादग्रस्त भूखण्ड के जोड़ा–जोड़ भूखण्ड आया हुआ हैं जिसका पट्टा सं. 40 निगरानीकर्तागण द्वारा अपने पक्ष में इस आलौच्य पट्टा सं. 31 के बाद में जारी करवाया गया हैं, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टे का ज्ञान पूर्व में ही रहा हैं। इस प्रकार दोनो ही परिवारों के भूखण्ड अलग–अलग आये हुए हैं तथा निगरानीकर्तागण के पक्ष में आये भूखण्डों के पट्टा सं. 25 व 40 अपने नाम से जारी करवाये गये हैं, जिसमें पट्टा सं. 25 निगरानीकर्ता सं. 2 के नाम तथा पट्टा सं. 40 निगरानीकर्ता सं. 1 के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया हैं। इस प्रकार स्पष्ट रूप से साबित हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड में प्रार्थी निगरानीकर्तागण का कोई हक–हिस्सा नहीं हैं तथा दोनो ही परिवार पिछले 64 वर्षों से अलग–अलग निवास कर रहे है तथा आने–जाने हेतु रास्ता भी अलग विद्यमान हैं। निगरानी में उल्लेखित ठाकुरजी का मन्दिर अप्रार्थी सं. 2 के परिवार का निजी है जिसमें अप्रार्थी सं. 2 के परिवार के सदस्य अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। निगरानीकर्तागण द्वारा इस निगरानी के द्वारा विवादित भूखण्ड पैतृक सम्पति होने के आधार पर अपना हक–हिस्सा होना अभिकथित किया हैं ऐसे में यदि इस भूखण्ड पर अपना कोई हक–हिस्सा होना मानते हैं तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत चाराजोही करनी चाहिए। इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी होने के पश्चात उप पंजीयक कार्यालय [illegible] पंजीबद्ध हो चुका हैं जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

7. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आलौच्य पट्टा प्राप्त करने के पश्चात बैंक से मोरगेज ऋण प्राप्त किया हैं जिसमे निगरानीकर्ता सं. 2 धर्मेन्द्रकरण द्वारा गारन्टर के रूप में हस्ताक्षर किये गये थे ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता सं. 2 द्वारा पट्टा सं. 31 के संबंध में वर्ष 2006 में एडमिशन किया था उक्त एडमिशन के बाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के तहत विवादित पट्टा सं. 31 पर आक्षेप उठाने से विबंधित हैं। इसके साथ ही उसे वर्ष 2006 में ही इस पट्टे की जानकारी हो जाने पर यह निगरानी प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर होने के कारण भी खारिज योग्य हैं।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के नाम जो पट्टा जारी किया गया हैं वह पुश्तैनी भूमि का जारी किया गया है जिसमें प्रार्थीगण का भी हक–हिस्सा हैं। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार से स्व0 विजयकरण के वारीसान होने के बारे में बल देते हुए प्रकट किया हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा गलत जारी किया गया हैं, जबकि इस न्यायालय को इस प्रकार के विरासत अधिकार एवं हक–हिस्सा की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जिसके विरूद्ध इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा 97 के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के आदेश की सत्यता, वैधता एवं औचित्यता को देखा जाना है। पक्षकारान के स्वामित्व अधिकारों का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नहीं हैं। इसके अलावा प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकट किया हैं कि ग्राम पंचायत के समक्ष अप्राथी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के समर्थन प्रस्तुत गवाहों के बयानों में तिथी का अंकन नहीं हैं जबकि इनके बयानों का पत्रावली में आदेशिका में उल्लेख किया गया हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख अवलोकन से पाया जाता हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:43 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हैं तथा इस प्रकार की छोटी सी त्रुटि किसी प्रकार की अवैधता का आधार नही हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह प्रकट किया हैं कि आलौच्य पट्टा वर्ष 2006 में जारी किया गया हैं तथा इस पर अप्रार्थी द्वारा बैंक से मोरगेज ऋण भी प्राप्त किया है जिसमें गारण्टर के रूप में अप्रार्थी सं. 2 द्वारा हस्ताक्षर अंकित किये हैं। इससे प्रार्थीगण को आलौच्य पट्टा के बारे में प्रारम्भ से ही जानकारी थी तथा करीब 14 वर्ष के बाद यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं जो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं। यद्यपि अप्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं किन्तु अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 40 आलौच्य पट्टाा के बाद जारी किया गया हैं तथा उक्त पट्टा के पडौस में अप्रार्थी का भूखण्ड दर्शाया गया हैं, ऐसे में आलौच्य पट्टा की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं होने का तथ्य मानने योग्य नहीं है। इसके अलावा जहां तक प्रार्थीगण का कथन हैं कि विवादित भूमि स्व0 विजयकरण की होने से इस पुश्तैनी भूमि में उनका भी हक–हिस्सा हैं तो अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से स्पष्ट होता हैं कि प्रार्थी सं. 1 एवं 2 के पक्ष में क्रमशः पट्टा सं. 40 एवं 25 ग्राम पंचायत कानाना द्वारा जारी किया गया हैं। इस तथ्य का प्रार्थीगण ने अपने निगरानी प्रार्थना–पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं किया हैं तथा इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया हैं। इसके बावजूद भी विवादित भूमि स्व0 विजयकरण के मालिकाना की होने का भी प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा [illegible] में [illegible]हित आधार नहीं बनता हैं। इसके अलावा भी आलौच्य पट्टा विलम्ब [illegible] होने से यदि प्रार्थीगण अपने हक–अधिकार प्रभावित होना मानते हैं तो [illegible]न्हे सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसे में प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish[illegible] Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:50:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 30.12.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( विश्राम मीणा )
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.02.27 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested